राष्ट्रीय हरित अधिकरण /National Green Tribunal
प्रधान न्यायपीठ /Principal Bench
फ़रीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग / Faridkot House, Copernicus Marg
नई दिल्ली / New Delhi-110001
दूरभाष / Phone: 011-23435241, ईमेल / Email: rg.ngt@nic.in

संख्या: रा.ह.अ./प्र.न्या./16/प्रशा./2016/वॉल्यूम-VIII/91 दिनांक: 03 मार्च 2025

रिक्ति परिपत्र

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली निम्नलिखित पदों के लिए **प्रतिनियुक्ति आधार** पर आवेदन आमंत्रित करता है:

क्रमांक	पद	पदों की संख्या	सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल	तैनाती का स्थान
1.	सहायक पंजीयक	03	लेवल-11 (Rs.67700-208700)	1-चेन्नई पीठ 1-कोलकाता पीठ 1-भोपाल पीठ
2.	प्रधान निजी सचिव	01	लेवल-11 (Rs.67700-208700)	1- प्रधान न्यायपीठ
3.	लेखा अधिकारी	01	लेवल-09 (Rs.53100-167800)	1-प्रधान न्यायपीठ
4.	निजी सचिव	13	लेवल-08 (Rs.47600-151100)	प्रधान न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठ

***उक्त पदों का राष्ट्रीय हरित अधिकरण की वर्तमान में स्थापित पीठ (नई दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता और पुणे) अथवा भविष्य में भारत में स्थापित होने वाली किसी भी पीठ में स्थानांतरण किया जा सकता है।**

1. सहायक पंजीयक के लिए शैक्षणिक योग्यता और मापदंड:

ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि धारण किए हों और जो:

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों,

या

(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- में ग्रेड वेतन 5400/- रु. अर्थात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 में पाँच वर्ष की सेवा कर चुके हों।

या

ग्रेड वेतन 4800/- रु. अर्थात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 में छह वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।

या

ग्रेड वेतन 4600/- रु. अर्थात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में सात वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।

या

ग्रेड वेतन 4200/- रु. अर्थात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित संशोधित वेतन संरचना को बढ़ाया गया है, किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर विस्तारित तत्संबंधी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा माना जाएगा, सिवाय इसके कि

जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का एक समान ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले ग्रेड में विलय हो गया हो, और जहां यह लाभ केवल उस पद के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

2. प्रधान निजी सचिव के लिए शैक्षणिक योग्यता और मापदंड:

ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि धारण किए हों और जो:

(क) (1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों,

अथवा

(2) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- में 4800/- रु. अर्थात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 के ग्रेड वेतन में छह वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।

या

4600/- रु. अर्थात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 के ग्रेड वेतन में सात वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।

या

4200/- रु. अर्थात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 के ग्रेड वेतन में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।

(ख) आशुलिपि (अंग्रेजी / हिंदी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों।

अनिवार्य: कंप्यूटर प्रचालन का कार्य साधक ज्ञान।

वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 माह की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. लेखा अधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता और मापदंड:

(क) ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारण किए हों और जो:

(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों,

(ii) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- में 4600/- रु. अर्थात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 ग्रेड वेतन में तीन वर्ष की नियमित सेवा

या

4200/- रु. अर्थात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।

वांछनीय:

(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण;

(ii) आईएसटीएम में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा होना और रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. निजी सचिव के लिए शैक्षणिक योग्यता और मापदंड:

अधिकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री धारण किए हुए हो और

(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायलयों अथवा अधिकरणों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;

या

(ii) वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. + ग्रेड वेतन 4200/- रु. अर्थात वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ कोर्ट मास्टर या आशुलिपिक श्रेणी-1 का पद धारण किए हुए हो और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण (अंग्रेजी) में 40 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।

अनिवार्य: मान्यता प्राप्त संस्थान से छह माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

वांछनीय: विधि में डिग्री।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(कृपया राष्ट्रीय हरित अधिकरण की वेबसाइट (https://greentribunal.gov.in) पर उपलब्ध राष्ट्रीय हरित अधिकरण भर्ती नियम, 2011 और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 02.11.2017 की जी.एस.आर. 1362 (ई) अधिसूचना का संदर्भ लें)

सामान्य शर्तें :

1. सक्षम प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए पदों को भरने अथवा नियुक्ति न करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एवं समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था. (वेतन-II) के अनुसार प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तें एवं नियम लागू होंगे।
3. इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में अपना बायोडाटा शैक्षिक योग्यता, अनुभव, पिछले पांच वर्षों की एसीआर की प्रतियां, सतर्कता समाशोधन, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र आदि से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ **"महापंजीयक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001"** को **उचित माध्यम द्वारा** दिनांक 15.04.2025 (सांय 5.00 बजे) तक दस्ती (स्वयं आकर) /पं जीकृत डाक / द्रुतगति डाक द्वारा भेज सकते हैं। आवेदन दिनांक 15.04.2025 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले पहुंच जाने चाहिए।
4. दिनांक 15.04.2025 को सांय 5.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. किसी विवाद की स्थिति में रिक्ति परिपत्र का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

(एस. विनीता)
महापंजीयक

प्रति प्रेषित:

1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
2. माननीय न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों के वैयक्तिक सहायक
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग
4. सभी अधिकरणों के पंजीयक
5. निदेशक (नीति एवं विधि प्रभाग), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली-110003
6. वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों में परिचालन के अनुरोध सहित।
7. विज्ञ महापंजीयक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली
8. क्षेत्रीय पीठों के विज्ञ पंजीयक (भोपाल, चेन्नई, कोलकाता और पुणे) – सरकारी कार्यालयों में परिचालन के अनुरोध सहित।
9. उप पंजीयक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली
10. सहायक पंजीयक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली
11. भुगतान और लेखा अधिकारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली-110003
12. कंप्यूटर प्रभारी – राष्ट्रीय हरित अधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश सहित।
13. गार्ड मिसिल